

01.01.2017 से प्रभावी एनएचडीसी लिमिटेड की वेतन संरचना

कर्मचारी		पर्यवेक्षक		अधिकारी	
श्रेणी कोड	वेतनमान	श्रेणी कोड	वेतनमान	श्रेणी कोड	वेतनमान
डब्ल्यु-0	19500-3%-57500	एस -1	29600-3%-119500	ई-0	30000-120000
डब्ल्यु-1	22000-3%-68000	एस -2	29700-3%-119600	ई-1	40000-140000
डब्ल्यु-2	23000-3%-72000	एस -3	29800-3%-119700	ई-2	50000-160000
डब्ल्यु-3	24000-3%-74000	एस -4	29900-3%-119900	ई-3	60000-180000
डब्ल्यु-4	25000-3%-85000			ई-4	70000-200000
डब्ल्यु-5	26000-3%-100000			ई-5	80000-220000
डब्ल्यु-6	27000-3%-105000			ई-6	90000-240000
डब्ल्यु-7	28000-3%-108000			ई-7	100000-260000
डब्ल्यु-8	28500-3%-118000			ई-8	120000-280000
डब्ल्यु-9	29000-3%-119000			ई-9	150000-300000
डब्ल्यु-10	29500-3%-119400				

वेतनवृद्धियां :

निम्नांकित तारीखों के बीच नियुक्त/पदोन्नति कर्मचारी	वेतनवृद्धि की मानक तिथि
1 जनवरी एवं 30 जून	1 जनवरी
1 जुलाई एवं 31 दिसंबर	1 जुलाई

पहली वेतनवृद्धि उस महीने की 01 तारीख को दी जायेगी, जिस महीने में परिवीक्षा अवधि पूर्ण की हो।

महंगाई भत्ता :

महंगाई भत्ते की किस्तें वर्ष में चार बार, 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर से, जारी की जायेगी। प्रतिशत

कैफेटेरिया :

लाभ एवं भत्ते दिनांक 01.01.2017 से लागू संशोधित वेतनमान के 35 प्रतिशत की सीमा तक कैफेटेरिया का हिस्सा होंगे।

नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) :

डॉक्टरों को मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता दिया जायेगा।

मकान किराया भत्ता :

शहरों/कस्बों का संशोधित वर्गीकरण'	मकान किराये भत्ते की दरें (संशोधित मूल वेतन % दरें)
एक्स (जिसे पहले ए-1 के रूप में वर्गीकृत किया गया था)	24%
वाई (जिसे पहले ए, बी-1 और बी-2 के रूप में वर्गीकृत किया गया था)	16%
जेड (जिसे पहले सी और गैर वर्गीकृत क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था)	8%

शहरों/कस्बों का संशोधित वर्गीकरण भारत सरकार द्वारा किया गया है।